



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-28042026-272115
CG-MP-E-28042026-272115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2029]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 2026/वैशाख 5, 1948

No. 2029]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 2026/VAISAKHA 5, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

भोपाल, 18 मार्च, 2026

का.आ. 2102(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (संसोधित अधिनियम 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना संख्या-4701, दिनांक 24 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय समाचार पत्रों में से हिंदी भाषा के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07/11/2025 को तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 07/11/2025 को प्रकाशित किया गया है। और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। रेल मंत्रालय, पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2025 से केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संसोधित अधिनियम 2008) की उप-धारा 2 के खण्ड 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारीख 22 मई 2025 से अनुविभागीय अधिकारी

रायसेन जिला रायसेन को जिले में विशेष रेल परियोजना भोपाल – बीना खंड में रेलवे समपार फाटक क्रमांक 262 के बदले ऊपरी पुल का निर्माण कार्य परियोजना के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कराने का विनिश्चय किया गया। और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम : मुडियाखेडा, प.ह.न. 06		तहसील : रायसेन,		उपखण्ड-साँची		जिला : रायसेन	
क्रम संख्या	भूमि का स्वामी	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा	भूमि - कृषि/पडत/व्यपवर्तित	भूमि सिंचित/असिंचित	
1	रजनी पांडेय बेवा विनोद पांडेय ,सुधांशु पांडेय पुत्र विनोद पांडेय, सुमन पांडेय पुत्री विनोद पांडेय	36/2/2	0.607	0.033	कृषि भूमि	सिंचित	
2	गिरजा पाण्डे आ० जमना पाण्डे	36/2/1	0.700	0.041	कृषि भूमि	सिंचित	
3	सुनील पाण्डे, सुशील पाण्डे पुत्रगण शिवचरण उर्फ शिवचन जाति-पाण्डे	36/2/3	1.214	0.072	कृषि भूमि	सिंचित	
4	शमीम रइस पुत्र रइस वारिस	36/1/1/1/1/2	1.214	0.031	व्यपवर्तित	सिंचित	
5	चैनसिंह, हल्कू उर्फ कमर सिंह, मलखान सिंह , घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/5	0.914	0.056	कृषि भूमि	सिंचित	
6	राधाबाई हि० 0.099, सुशीला बाई, सुनीता बाई हि० 0.48, आ० मनीराम	36/1/6/1	0.309	0.017	कृषि भूमि	सिंचित	
7	चैनसिंह पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/2	0.303	0.017	कृषि भूमि	सिंचित	
8	घनश्याम पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/3	0.303	0.016	कृषि भूमि	सिंचित	
9	चैनसिंह, हल्कू (कमर सिंह), मलखान सिंह , घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/7	0.918	0.053	कृषि भूमि	सिंचित	
10	मेहराज खां पिता सुलेमान खां नि० वाखेडा हुजुर	67/1/1	0.425	0.021	कृषि भूमि	सिंचित	
11	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	67/1/2/1	2.388	0.155	कृषि भूमि	सिंचित	
12	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	68	0.125	0.014	कृषि भूमि	सिंचित	
13	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/2	1.376	0.001	कृषि भूमि	सिंचित	
14	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/3	1.376	0.001	कृषि भूमि	सिंचित	
कुल भूमि रकबा -			12.172 हे०	0.528 हे०			

[फा. सं. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/262/02]

अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति

MINISTRY OF RAILWAYS**[West Central Railway (Gati Shakti Unit)]****NOTIFICATION**

Bhopal, the 18th March, 2026

S.O. 2102(E).—The Central Government, under sub-section (1) of Section 20(A) of the Railways Act, 1989 (Amended Act 2008) (hereinafter referred to as “the said Act”), hereby, announces its intention to acquire the land specified in the notification of the Ministry of Railways, Government of India (West Central Railway, Gati Shakti Unit, Bhopal), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No.4701 dated 24th October 2025. The land specified in the said notification is required for the execution of the Railway Overbridge Construction Project in place of Level Crossing No. 262 in Raisen District, Madhya Pradesh, and the announcement was made regarding the intention to acquire such land.

In accordance with sub-section (4) of Section 20(A) of the said Act, the notification was published in local newspapers, namely in the Hindi language newspaper Dainik Bhaskar on 07/11/2025 and in the English language newspaper Times of India on 07/11/2025. No objections have been received by the competent authority from any person, and the competent authority has submitted its report to the Central Government in accordance with sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act.

In exercise of the powers conferred under Clause 7(A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Ministry of Railways, West Central Railway (Gati Shakti Unit, Bhopal), by its notification dated 6 February 2025, has, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, i.e., 22nd May 2025, authorized the Sub-Divisional Officer, Raisen, District Raisen, as the competent authority for the execution of the Railway Over bridge Construction Project in place of Level Crossing No. 262 under the Special Railway Project Bhopal–Bina Section in the district.

Now, therefore, the Central Government on receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E) of the Railway Act, 1989, hereby declares that it has been decided to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the aforesaid purpose. And whereas, the Central Government hereby further declares, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act., that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

"Brief description of land, with or without structures, to be acquired for the construction of a railway overbridge in place of level crossing number 262 in the State of Madhya Pradesh."

Village- Mudiakheda, Patwari Halka No- 06, Tehsil: Raisen, Upakhand –Sanchi, District: Raisen						
S. No.	Name of Land Owner	Khasra Number	Total Area of Land (in he.)	Acquired Area of Land (in he.)	Land - (Agricultural/Fallow/Diverted)	Land Irrigated /Non-Irrigated
1	Rajni Pandey widow of Vinod Pandey, Sudhanshu Pandey son of Vinod Pandey , Suman Pandey daughter of Vinod Pandey	36/2/2	0.607	0.033	Agricultural	Irrigated
2	Girja Pandey, wife of Jamna Pandey	36/2/1	0.700	0.041	Agricultural	Irrigated
3	Sushil Pandey, Sunil Pandey, son of Shivcharan alias Shivvachan (Caste – Pandey)	36/2/3	1.214	0.072	Agricultural	Irrigated
4	Shamim Rais, son of Rais Waris	36/1/1/1/2	1.214	0.031	Diverted	Irrigated
5	Chainsingh, Halku alias Kamar Singh, Malkhan Singh, Ghanshyam, son of Bhawani	36/1/5	0.914	0.056	Agricultural	Irrigated
6	Radhabai (Share 0.099), Sushila Bai - Sunita Bai (Share 0.48), daughter of Maniram	36/1/6/1	0.309	0.017	Agricultural	Irrigated

7	Chainsingh, son of Bhawani Prasad Ahirwar	36/1/6/2	0.303	0.017	Agricultural	Irrigated
8	Ghanshyam, son of Bhawani Prasad Ahirwar	36/1/6/3	0.303	0.016	Agricultural	Irrigated
9	Chainsingh, Halku alias Kamar Singh, Malkhan Singh, Ghanshyam, son of Bhawani	36/1/7	0.918	0.053	Agricultural	Irrigated
10	Mehraj Khan, son of Suleman Khan, resident of Vakheda Huzur	67/1/1	0.425	0.021	Agricultural	Irrigated
11	Sheela Devi, wife of Udhav Singh Thakur	67/1/2/1	2.388	0.155	Agricultural	Irrigated
12	Sheela Devi, wife of Udhav Singh Thakur	68	0.125	0.014	Agricultural	Irrigated
13	Vipul Rawat, son of Narendra Kumar Rawat	36/1/2	1.376	0.001	Agricultural	Irrigated
14	Vipul Rawat, son of Narendra Kumar Rawat	36/1/3	1.376	0.001	Agricultural	Irrigated
Total land area			12.172 Hec.	0.528 Hec.		

[F. No. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/262/02]

ANUPAM AWASTHI, Chief Project Manager/Gati Shakti